न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 144 / 2023
दायर दिनांक :– 27.09.2023

अनवान

1. गोपाल पिता हेमराज दरोगा नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. भागीरथ पिता हेमराज दरोगा नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. रामप्रसाद पिता हेमराज दरोगा नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. सत्यनारायण पिता हेमराज दरोगा नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. मु. काली पुत्री काना कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. मु. खानी पुत्री अम्बालाल कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. घीसू पिता काना ना.बा. माता मु. प्रेम पत्नि काना कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां
4. तेजु पिता काना कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. मु. प्रेम पुत्री काना कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. मु. मीरा पुत्री काना कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. लादु पिता देबी कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. मु. लाली पुत्री अम्बालाल कुम्हार नि. सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
9. प्रधानाचार्य राजकीय संस्कृत विघालय सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
10. शाखा प्रबंधक, राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सांगरिया तहसील फूलिया कलॉ
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांक 24.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 27.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 2786 प्रार्थीगण के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण / रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाड़ा

रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 08 की आराजी संख्या 2785 में से नवीन रास्ता कायगी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खरारे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 2785 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस वाद तागील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 10 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 व 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 2786 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 22.01.2024 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 2785 में से रास्ता देने पर 0. 0168 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 2786 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
12. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
13. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थीगण अपने आ.न. 2786 में आने जाने हेतु ख. न. 2785 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 2786 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु आराजी सं. 2785 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) अधिसूचनादिनांकजयपुर, सितम्बर 5, 2023 के द्वाराराजस्थानअभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार**1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क का संशोधन का उद्धरण इस प्रकार है कि मूल अधिनियम की धारा 251–क की उप–धारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति " विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर" प्रतिस्थापित की जायेगी।** अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ. न. 2786 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दी जाकर प्रार्थी का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम सांगरिया प. ह धनोप भु अभि. नि. धनोप तहसील फुलियाकलां में आ. न. 2786 में आने जाने के लिये आ. न. 2785 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 2785 में से रास्ता देने पर कुल 0.0168 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न भाग होगा। तथा आ. न. 2785 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0168 हैक्टेयर की एवज में प्रतिकर के रूप में आ.न. 2786 में से 0.0168 हैक्टेयर जमीन के बदले जमीन जो अप्रार्थीगण की भूमि के सहारे सहारे दिये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा